

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी - डॉ दिनेश राय सापेला, RAS  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा  
प्रकरण संख्या : 24/2023  
रजिस्ट्रेशन नं. :2023/30

राजस्थान राज्य जरिये  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बांसवाड़ा हाल सिरौही  
(राज)

बनाम

अभियुक्त :-

1. श्री नितेश पुत्र श्री राजमल जी जैन  
मैसर्स:- नितेश किराणा स्टोर, बस स्टैण्ड  
डुगरिया, तह.- घाटोल, जिला बांसवाड़ा
2. श्री अनिल कुमार जैन मैसर्स:- राजेश  
कुमार अनिलकुमार, बस स्टैण्ड घाटोल,  
बांसवाड़ा
3. Nagin Lal Shah s/o Sh. Rupchand  
m/s Shah Agency, Custom  
Chouraha, Banswara
4. Deependra Sharma (Nominee) m/s  
Mahesh Vegoils Pvt. Ltd. 1 Floor,  
Plot No- 147-148 Near Vijay Hotel,  
Bazar No-2, Bhilwara

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 10-04-2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा  
अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा हाल सिरौही (राज.)  
के द्वारा दिनांक 09-02-2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि  
दिनांक 08-03-2022 को 12. पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों  
की जाँच हेतु मैसर्स - नितेश किराणा स्टोर, बस स्टैण्ड डुगरिया, तह.- घाटोल, जिला  
बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर नितेश पुत्र श्री राजमल जी जैन उपस्थित  
थे। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में मैसर्स- नितेश किराणा स्टोर, बस स्टैण्ड  
डुगरिया, तह.- घाटोल, जिला बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर Refined Soyabean  
Oil (Brand- M Fresh) 18 पैक बोतल 500-500 ml के आम जनता को खाद्य  
सामग्री विक्रय हेतु पाया। इसमें गिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की  
उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए Refined Soyabean Brand- M  
Fresh) के चार गुल पैक बोतल वारंते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा कीमत 480  
रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर



न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति.जिला कलक्टर)  
बांसवाड़ा (राज.)



करवाये एवं तस्दीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा **Refined Soybean Oil (Brand- M Fresh)** चार पैक बोटल भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-977** लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूने को नियमानुसार सील बन्द किया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/112-113 दिनांक 29-03-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 321 दिनांक 23-03-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Refined Soybean Oil (Brand- M Fresh)** का नमूना कोड क्रमांक **W-977** Sub standard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Refined Soybean Oil (Brand- M Fresh)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 13-02-2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपियों को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 10-04-2023 को अप्रार्थीगणों ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/112-113 दिनांक 29-03-2022 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 321 दिनांक



न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति.जिला कलक्टर)  
बॉसवाडा (राज.)




23-03-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Refined Soyabean Oil (Brand- M Fresh)** का नमूना कोड क्रमांक **W-977** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड **Refined Soyabean Oil (Brand- M Fresh)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री नितेश पुत्र श्री राजमल जी जैन मैसर्स – नितेश किराणा स्टोर, बस स्टैण्ड डुगरिया, तह.- घाटोल, जिला बांसवाडा, श्री अनिल कुमार जैन मैसर्स – राजेश कुमार अनिलकुमार, बस स्टैण्ड, घाटोल, जिला बांसवाडा, **Nagin Lal Shah s/o Sh. Rupchand m/s Shah Agency, Custom Chouraha, Banswara, Deependra Sharma (Nominee) m/s Mahesh Vegoils Pvt. Ltd. 1 Floor, Plot No- 147-148 Near Vijay Hotel, Bazar No-2 Bhilwara** को रुपये 80,000/- (अक्षरे रू अस्सी हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के विन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 10-04-2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।



  
( डॉ. दिनेश राय सापेला )  
खाद्य निर्णय अधिकारी  
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर)  
बांसवाडा (राज.)  
बांसवाडा